

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

IMPORTANT

परिपत्र

विषय:-अधूरी/अबेन्डन/जीर्ण-शीर्ण राजकीय भवनों का सर्वे करने एवं राजकीय विभागों को आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई रूप से आवंटित करने के क्रम में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 'सरकार आपके द्वार' के दौरान विभिन्न संभाग मुख्यालयों पर यह पाया गया है कि लगभग सभी जिलों में कई राजकीय भवन उपयोग योग्य, अधूरे, अबेन्डन, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उपलब्ध है। इस संबंध में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि एक ओर जहां कई राजकीय भवन उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं तथा नये भवनों के प्रस्ताव भिजवाये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों द्वारा काफी धनराशि व्यय करने के पश्चात् भी राजकीय भवन अधूरे पड़े हैं। राजकीय भवनों की नियमित रूप से साज संभाल नहीं की जा रही है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.16(1)एआर/ग्रुप-1/2014 उदयपुर संभाग/फालोअप दिनांक 18.9.2014 को विद्वा करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. जिला स्तर पर यह पाया जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा भवन किराये पर लेने के लिये जिला कलक्टर से अनुपब्धता प्रमाणपत्र चाहा जाता है, ऐसे प्रकरणों में भी संबंधित जिला कलक्टर द्वारा उक्त स्थान पर विषयान्तर्गत उल्लेखित भवन/अन्य विभागों द्वारा रिक्त किये गये भवनों की उलब्धता देख कर ही प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है एवं यदि कोई राजकीय भवन रिक्त या अधूरी अवस्था में उपलब्ध हो तो उसे संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से किराये पर भवन नहीं लेने पड़े।
2. समस्त जिला कलक्टर ऐसे सभी उपयोग योग्य, अधूरे, अबेन्डन, जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले ऐसे सभी राजकीय, गैर आवासीय एवं आवासीय भवनों के संबंध में सम्पत्ति रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका प्रारूप क्रमशः प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 के रूप में दिया गया है। जब भी कोई राजकीय विभाग जिला कलक्टर को ऐसा कोई भवन अस्थाई रूप से आवंटित करने हेतु आवेदन करता है, तो उक्त ग्राम/शहर में उपरोक्त संधारित सम्पत्ति रजिस्टर से मिलान किया जायेगा एवं देखा जायेगा कि विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपयोग योग्य/अधूरे/जीर्ण-शीर्ण/अनुपयोगी भवन उपलब्ध है या नहीं। साथ ही अधूरे/जीर्ण-शीर्ण भवनों को कितनी राशि में ठीक करवाकर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। उसका तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग/अन्य कार्यकारी एजेन्सी से तैयार कराया जायेगा तथा संबंधित विभाग को नक्शा मय तकमीना उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित विभाग तदनुसार प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित समक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिसके अनुमोदन के पश्चात् संबंधित निर्माण एजेन्सी को अधिकृत करते

हुए प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग से राशि स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य संपादित करायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा उक्त सम्पत्ति का संबंधित विभाग को अस्थाई आवंटन किया जायेगा, जिसका अंकन सम्पत्ति रजिस्टर में किया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरण जिनमें हाल ही में विद्यालयों के एकीकरण के कारण कई राजकीय भवन खाली हो गये हैं, को भी आने वाले समय में अनुपयोगी होने से बचाने के लिये अन्य विभागों को आवंटित किया जाना है। यदि विषयान्तर्गत उल्लेखित प्रकृति के भवनों में मरम्मत करायी जानी हो तो विभिन्न राजकीय योजनाओं के तहत उपलब्ध बजट का स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के सहयोग से कराया जा सकता है। यदि ऐसे भवन उपलब्ध नहीं हो तो बिन्दु संख्या 2 में वर्णित प्रक्रिया अपनाते हुए अनुपयोगी भवन को उपयोगी बनाने का प्रयास किया जायेगा।
4. अब तक राजकीय भवनों को अस्थाई/स्थाई आवंटित करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली जाती रही है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए इस प्रकार के अस्थाई आवंटन की शक्तियाँ संबंधित जिला कलक्टर को प्रदत्त की जाती हैं।
5. नजूल सम्पत्तियाँ उक्त सम्पत्तियों की श्रेणी में नहीं मानी जायेगी।
6. सार्वजनिक उपक्रम, यथा— रीको, आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, पंचायती राज संस्थाएँ, स्थानीय निकाय आदि की ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
7. राज्य द्वारा पूर्व में ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में पत्र क्रमांक: प.26(3)साप्र/2/2014 दिनांक: 02.02.2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015, 31.03.2015, 06.11.2015, 01.12.2015, 12.02.2016 एवं 10.03.2016 द्वारा, जो सूचनाएँ मंगवाई गई थी, उन सूचनाओं को जिला स्तर पर ही संधारण किया जायेगा एवं इसे पी0डी0एफ0 फॉर्मेट में सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की सुविधा दी जायेगी। उक्त सम्पत्ति रजिस्टर को जिला कलक्टर द्वारा हर तीन माह में अपडेट कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
8. जिला कलक्टर द्वारा सम्पत्तियों संबंधी उक्त सूचना का विभागवार व जिलेवार रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

६०

(ओ. पी. मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों/राजकीय उपक्रम/बोर्डों/निगमों/सरकारी कम्पनीज।

७२

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

सम्पत्ति संधारण रजिस्टर

जिले के नाम-----

प्रपत्र-1

(अ) गैर आवासीय

गाँव/शहर का नाम	तहसील का नाम	संबंधित विभाग	अनुपयोगी/निर्मित भवन का विवरण, जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।	आवासीय भवन का वर्गीकरण	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है, का विवरण	सम्पत्ति का अस्थाई आवंटन कब व किस प्रयोजन से किसे किया गया है, का पूर्व विवरण

प्रपत्र-2

(ब) आवासीय

गाँव/शहर का नाम	तहसील का नाम	संबंधित विभाग	अनुपयोगी/निर्मित भवन का विवरण, जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।	आवासीय भवन का वर्गीकरण	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है, का विवरण	सम्पत्ति का अस्थाई आवंटन कब व किस प्रयोजन से किसे किया गया है, का पूर्व विवरण

७१